न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 184/2025
जीसीएमएस नं. :– 2025/253

बनाम

प्रार्थीगण :–
1. मिश्रीलाल पुत्र गुठाराम
2. कंचन पुत्री मोहनराम
3. केवलराम पुत्र देवाराम
4. गैरकी पत्नी देवाराम(फौत के कायम मुकाम पक्षकार में संयोजित)
5. थानाराम पुत्र देवाराम
6. नेताई पुत्री देवाराम
7. पतासी पुत्री देवाराम
8. बंशीलाल पुत्र देवाराम
9. भानु भाटी पुत्र मोहनराम
10. भोली पुत्री देवाराम
11. माड़ीदेवी पत्नी मोहनराम
12. रेशमी पुत्री मोहनराम
13. लीलादेवी पुत्री मोहनराम
14. संतोष पुत्री मोहनराम
15. समुड़ी पुत्री मोहनराम

अप्रार्थीगण :–
1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री जितेन्द्र कच्छावाह प्रार्थीगण की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :–11/06/2025

निर्णय

दिनांक :– 13/10/2025

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जसपाली तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी संख्या एक मिश्रीलाल की खातेदारीशुदा भूमि खसरा नम्बर 1194 क्षेत्रफल 1.6353 हेक्टेयर किस्म बारानी तथा खसरा नबंर 1198 क्षेत्रफल 0.8400 हेक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है जिसके सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत् 2081 की प्रति संलग्न है। ग्राम जसपाली तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी संख्या दों से पन्द्रह की खातेदारीशुदा भूमि खसरा नम्बर 1193 क्षेत्रफल 0.1632 हेक्टेयर किस्म बारानी तथा खसरा नबर 1195 क्षेत्रफल 0.2526 हेक्टेयर किस्म बारानी तथा खसरा नबंर 1196 क्षेत्रफल 0.8334 हेक्टेयर किस्म बारानी कृषि भूमि आई हुई है जिसके सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत् 2081 की प्रति संलग्न है। उक्त वादग्रस्त आरजीयों पूर्व में एक खसरे की भाग की भूमि रही थी जिसका खातेदारान के मध्य बटवाडा होने के बाद अलग अलग खसरान की भूमियों में विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही है। वादग्रस्त आराजीयों पर प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

काबिज काश्त रहे है जिस संलग्न नजरी नक्शे को उक्त प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग माना जावे। वादग्रस्त भूमियों पर प्रार्थीगण शुरू से ही संलग्न नजरी नक्शा मार्क ए,बी,सी,डी स्थान पर काबिज काश्त है जबकि वर्ष 2018 में तहसील ऑनलाईन हो जाने से वादग्रस्त आराजीयों की तरमीम गलत रूप से मार्क अ,ब,स,द के मध्य कर दी है जो तरमीम राजस्व नक्शे में गलत रूप से इन्दाज है जिसका नजरी नक्शा प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है जो प्रार्थनापत्र का भाग है। वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थीगण अपनी अपनी खातेदारीशुदा भूमियों पर मार्क ए,बी,सी,डी के मध्य दर्शाये अनुसार काबिज काश्त है परन्तु राजस्व नक्शे में उक्त भूमियों की तरमीम गलत रूप से मार्क अ,ब,स,द के मध्य कर दी गई है इसलिए उक्त प्रार्थनापत्र तरमीम की शुद्धि के लिए प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है कि मार्क अ,ब,स,द स्थान पर की गई तरमीम को हटाने के आदेश पारित किये जावे व ए,बी,सी,डी स्थान पर तरमीम की जावे। प्रार्थनापत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जसपाली तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी संख्या एक मिश्रीलाल की खातेदारीशुदा भूमि खसरा नम्बर 1194 क्षेत्रफल 1.6353 हेक्टेयर किस्म बारानी तथा खसरा नबंर 1198 क्षेत्रफल 0.8400 हेक्टेयर कृषि भूमि एंव प्रार्थी संख्या दो से पन्द्रह की खातेदारीशुदा भूमि खसरा नम्बर 1193 क्षेत्रफल 0.1632 हेक्टेयर किस्म बारानी तथा खसरा नबंर 1195 क्षेत्रफल 0.2526 हेक्टेयर किस्म बारानी तथा खसरा नबंर 1196 क्षेत्रफल 0.8334 हेक्टेयर किस्म बारानी कृषि भूमियों की तरमीम मार्क अ,ब,स,द को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार मार्क ए,बी,सी,डी के मध्य तरमीम किये जाने के आदेश फरमावे ।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ और तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम जसपाली खसरा नम्बर 1194 क्षेत्रफल 1.6353 हेक्टेयर, खसरा नबंर 1198 क्षेत्रफल 0.8400 हेक्टेयर , खसरा नम्बर 1193 क्षेत्रफल 0.1632 हेक्टेयर, खसरा नबंर 1195 क्षेत्रफल 0.2526 हेक्टेयर तथा खसरा नबंर 1196 क्षेत्रफल 0.8334 हेक्टेयर की तरमीम शुद्धी की जाती है तो कोई आपत्ति नही है ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमियों में अपनी अपनी खातेदारीशुदा भूमियों पर मार्क ए,बी,सी,डी के मध्य दर्शाये अनुसार काबिज काश्त है परन्तु राजस्व नक्शे में उक्त भूमियों की तरमीम गलत रूप से मार्क अ,ब,स,द के मध्य कर दी गई है इसलिए मार्क अ,ब,स,द स्थान पर की गई तरमीम को हटाने के आदेश पारित किये जावे व ए,बी,सी,डी स्थान पर तरमीम की जावे। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने तरमीम शुद्धि बाबत् अनापति जाहिर की है ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस में बताये बिन्दुओं एवं तहसीलदार जवाब अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम जसपाली के राजस्व रेकर्ड खसरा नम्बर 1194 क्षेत्रफल 1.6353 हेक्टेयर, खसरा नबंर 1198 क्षेत्रफल 0.8400 हेक्टेयर , खसरा नम्बर 1193 क्षेत्रफल 0.1632 हेक्टेयर, खसरा नबंर 1195 क्षेत्रफल 0.2526 हेक्टेयर तथा खसरा नबंर 1196 क्षेत्रफल 0.8334 हेक्टेयर का नाप चौप करवा कर तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त फर्द मौका दिनांक 04/09/2025 अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें एवं फर्द मौका दिनांक 04/09/2025 को आदेश का भाग समझा जावें। चूंकि उक्त भूमि पंजाब नेशनल बैंक पीपाड़ शहर मे रहन है, रहन मुक्ति पश्चात ही उक्त आदेश की पालना की जावे।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 13/10/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर